Title : Regarding filling up of sanctioned posts of judges lying vacant in Jharkhand High Court.

श्री सुनील कुमार महतो : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, झारखंड उच्च-न्यायालय में समुचित जजों के न होने से लम्बित मामलों की संख्या दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण लोगों को समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा है और समय पर न्याय नहीं मिले तो इसको अन्याय ही कहा जाएगा। वर्तमान समय में 12 न्यायाधीशों के पद स्वीकृत हैं लेकिन 7 न्यायाधीशों के पद रिक्त पड़े हैं, जिसके कारण मुकदमों की सुनवाई समय पर नहीं हो पा रही है और न ही समय पर फैसला दिया जा रहा है। इसके कारण लोगों को बहुत असुविधा हो रही है और न्याय मिलने में विलम्ब हो रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, वर्तमान झारखंड न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश का पद स्थापित नहीं है तथा कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के द्वारा काम चलाया जा रहा है। न्यायालय में एडमिशन के लिए लगभग 40 हजार से भी अधिक मामले लम्बित हैं और मुकदमा दायर होने के बाद, कई मामलों की 6 महीने से अधिक और कई मामलों की तो एक साल से भी अधिक समय के बाद पहली बार सुनवाई होती है । वर्तमान झारखंड राज्य बनने के बाद मुकदमों की संख्या अत्यधिक बढ़ गयी है। इन समस्याओं के समाधान हेतु 19 अक्टूबर से उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं ने एक माह तक आंदोलन किया था परन्तु इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करुंगा कि रिक्त पदों को जल्दी से जल्दी भरा जाए और काफी समय से लम्बित मामलों के निपटान हेतु न्यायाधीशों के पदों की संख्या बढ़ाई जाए। धन्यवाद।